जलापूर्ति का निजीकरण और विरोध

गौरव द्विवेदी

महाराष्ट्र की सीमा से सटे मप्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित करीब दो लाख 15 हज़ार की आबादी वाला खंडवा एक छोटा-सा शहर है। खंडवा नगर निगम वर्ष 2004 से ही शहर में जलापूर्ति की एक नई परियोजना पर कार्य करता आ रहा है। वर्ष 2007 में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर जलाशय के बैकवॉटर से पानी की आपूर्ति करने वाली एक परियोजना को 'लघु एवं मझौले शहरों के लिए शहरी ढांचागत विकास योजना' (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत मंज़ूरी मिली थी। यूआईडीएसएसएमटी केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित है जिसमें नगर निगम व एक निजी कंपनी मिलकर काम कर रही है। वर्ष 2008 में नगर निगम ने हैदराबाद की कंपनी विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (वीआईएसपीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत कंपनी जलापूर्ति सिस्टम को तैयार कर अगले 25 सालों तक पानी की आपूर्ति करेगी। इसमें सिस्टम के निर्माण की अवधि भी शामिल है।

खंडवा में जबसे इस अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं, तभी से कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। स्थानीय जनसमूह और जन प्रतिनिधि इस अनुबंध और परियोजना की तैयारी, योजना व निविदा प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारियों में पारदर्शिता के अभाव को लेकर सवाल उठाते आए हैं। यह अनुबंध निजी कंपनी को फायदा पहुंचाता है। इसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि नागरिक पानी इसी कंपनी से लेंगे। साथ ही सेवा सम्बंधी किसी भी जवाबदारी से कंपनी को मुक्त कर दिया गया है।

विरोधी इस परियोजना के अनेक बिंदुओं की आलोचना करते हैं। वे पानी की आपूर्ति का ज़िम्मा किसी निजी कंपनी को देने, जल दरों में बढ़ोतरी, स्थानीय जल स्रोतों की उपेक्षा करने और परियोजना में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी नहीं होने पर सवाल उठाते हैं। वे सातों दिन, चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति के प्रस्ताव को भी अनावश्यक बताते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे मीटरों की भी आलोचना करते हैं, जिसके लिए नागरिकों को ही भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक नलों को हटाने का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, इस अनुबंध में कंपनी के पक्ष में एक विशेष शर्त यह भी जोड़ी गई है कि न तो राज्य सरकार और न ही नगर निगम या स्थानीय नागरिक अपनी ओर से जलापूर्ति के किसी सिस्टम का निर्माण कर सकेंगे। यानी कोई न तो हैंडपंप खुदवा सकेगा और न ही नलकूप। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि कंपनी को पानी आपूर्ति में कोई प्रतिस्पर्धा न झेलनी पड़े। यहां उल्लेखनीय है कि शहर में करीब 65 फीसदी लोगों के घरों में नियमित जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन ही नहीं है। वे पानी के लिए सार्वजनिक नलों, टैंकरों और अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

इस परियोजना के असर सम्बंधी रिपोर्ट्स के प्रचार-प्रसार और कुछ कार्यशालाओं के आयोजन के बाद स्थानीय नागरिक पानी के निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाने को तैयार हो गए। उन्होंने परियोजना के खिलाफ प्रचार करने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का गठन किया और इसे रोकने के लिए उन्होंने खंडवा ज़िला उपभोक्ता मंच में याचिका भी दायर की। उपभोक्ता मंच ने भी नागरिकों से सहमति जताते हुए आदेश दिया कि जलापूर्ति नगर निगम की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है और उसे किसी निजी कंपनी को नहीं सौंपा जा सकता।

अखबारों और टेलीविज़न चैनलों के ज़रिए एक मीडिया कैम्पेन शुरू किया गया। घर-घर जाकर लोगों से बात की गई। बड़ी संख्या में नागरिकों का समर्थन इस परियोजना के खिलाफ जुटा लिया गया। जब नगर निगम ने जलापूर्ति सिस्टम को निजी हाथों में सौंपने की अधिसूचना प्रकाशित कर इस पर आपत्तियां मांगी तो दस हज़ार से भी अधिक परिवारों ने इस परियोजना के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाई। यह संख्या वैध पाइप लाइन कनेक्शन धारी परिवारों की

करीब दो तिहाई थी।

इतनी तादाद में मिली आपत्तियों के कारण राज्य सरकार इस परियोजना की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन करने को मजबूर हो गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि परियोजना के सम्बंध में किए गए अनुबंध में जो शर्तें जोड़ी गईं, वे केवल एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के मकसद से जोड़ी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खंडवा नगर निगम ने परियोजना के लिए निजी सलाहकार के चयन और निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरतीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में छूट समझौते को निरस्त कर शहर की जलापूर्ति सेवा को सार्वजनिक जल बोर्ड के ज़िम्मे करने की अनुशंसा की। रिपोर्ट में जल शुल्क व उसके पुनरीक्षण, समानांतर जलापूर्ति की सुविधाओं पर प्रतिबंध और धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों के लिए पानी की व्यवस्था पर प्रतिबंध सम्बंधी शर्तों को खारिज कर दिया गया। समिति ने सार्वजनिक जल स्रोतों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया।

रिपोर्ट में पानी की आपूर्ति केवल नगर निगम द्वारा ही करने और सार्वजनिक नलों की संख्या में बढ़ोतरी करने की अनुशंसा की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि शहरी गरीबों के जल अधिकार का समर्थन किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी गई है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

परियोजना का विरोध कई समूह कर रहे हैं।

स्थानीय अनौपचारिक समूह: ये समूह परियोजना के क्रियान्वयन का विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में चलाए जा रहे अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। इन समूहों के कई सदस्य सार्वजनिक सभाओं, कार्यक्रमों, मीडिया अभियान, घर-घर जाकर जागरूकता अभियान, जनमत निर्माण जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

जन प्रतिनिधि: कुछ जन प्रतिनिधि परियोजना विरोधी अभियान का समर्थन कर रहे हैं। ये जन प्रतिनिधि विभिन्न सरकारी समितियों तक परियोजना के खिलाफ जनता की भावनाओं और परियोजना के क्रियान्वयन में हुई गड़बड़ियों की जानकारी पहुंचाने में मददगार रहे हैं।

स्थानीय स्वैच्छिक संगठन: ये संगठन दस्तावेज़ एकत्र कर परियोजना का विश्लेषण करने, जन-जागरुकता फैलाने और दक्षता निर्माण कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं। ये अपने विश्लेषणों को रिपोर्ट्स, आलेखों, केस स्टडीज़ और कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही मीडिया के साथ लगातार संपर्क कर और अपने लेखों के ज़रिए अभियान की गति को बनाए रख रहे हैं।

दूसरी ओर खंडवा नगर निगम की भूमिका उक्त जल परियोजना का समर्थन करने और उसे सही ठहराने की रही है। निगम भारी गड़बड़ियों के बावजूद परियोजना के क्रियान्वयन में लगी निजी कंपनी को मदद करते आया है।

परियोजना की स्वीकृत लागत 1.77 करोड़ डॉलर थी। इनमें से 1.72 करोड़ डॉलर (यानी 97 फीसदी) परियोजना पर खर्च होनी थी। शेष 5.20 लाख डॉलर (यानी 3 फीसदी) परियोजना के प्रस्ताव, परामर्श और अन्य आकस्मिक व्यय पर खर्च होनी थी। परियोजना पर जो राशि खर्च होनी है, उसमें से 1.55 करोड़ डॉलर की राशि खंडवा नगर निगम निजी कंपनी विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को देगा। यह राशि बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) प्रोजेक्ट के तहत पूंजीगत सब्सिडी के रूप में होगी। शेष राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी ताकि पीपीपी के रूप में परियोजना को प्रोत्साहित किया जा सके।

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) निजी-सार्वजनिक भागीदारी का ही एक रूप है जिसके तहत किसी परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें किसी निजी कंपनी को किसी सुविधा के डिज़ाइन, उसके निर्माण और संचालन का दायित्व दिया जाता है। निजी कंपनी अपने निवेश और संचालन व प्रबंधन पर हो रहे खर्च की भरपाई नागरिकों से वसूली करके करती है।

अब इस परियोजना की राशि बढ़कर 1.92 करोड़ डॉलर हो गई है। परियोजना के लिए जो सबसे न्यूनतम बोली लगी, वह 1.92 करोड़ डॉलर की लगी। यह परियोजना पर होने वाले पूंजीगत व्यय की राशि है। संचालन व रख-रखाव के रूप में सालाना व्यय राशि 12.70 लाख डॉलर होगी जो जल शुल्क के रूप में वसूला जाएगा। अनुबंध के अनुसार इस शुल्क में हर तीन साल में दस फीसदी की बढ़ोतरी होगी। हालांकि अनुबंध में यह भी प्रावधान किया

गया है कि अगर कंपनी द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व में कमी पड़ती है तो वह कभी भी इस दर में बढ़ोतरी करने को स्वतंत्र होगी। जल शुल्क की वसूली विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड स्थानीय नागरिकों से करेगी।

इस 1.92 करोड़ डॉलर में से खंडवा नगर निगम 1.55 करोड़ डॉलर की राशि का भुगतान करेगा। शेष 36.8 लाख डॉलर की राशि निजी ऑपरेटर निवेश करेगा। इनमें से 25 फीसदी राशि इक्विटी के रूप में होगी, जबकि शेष 75 फीसदी राशि ऋण के रूप में। विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर ने निजीकरण को बढ़ावा देने वाली विश्व बैंक की एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन (आईएफसी) से भी कर्ज़ लिया है।

इस परियोजना का अनुमानित इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) 12 फीसदी है। इस दर का इस्तेमाल निवेशक इस बात की पड़ताल करने के लिए करते हैं कि अमुक परियोजना में निवेश करना कितना फायदेमंद रहेगा। रेट जितना अधिक, निवेश उतना ही अच्छा। विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर ने कीमत प्रस्तावित करते हुए कहा है कि शोधित पानी के दाम उपभोक्ताओं से वसूले जाएंगे और इस राशि का इस्तेमाल निवेश की भरपाई, मुनाफे की वसूली तथा संचालन व रख-रखाव खर्चों की पूर्ति में किया जाएगा।

लघु एवं मझौले शहरों के लिए शहरी ढांचागत विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और निर्माणाधीन निजीकरण परियोजना के चलते पानी के दाम तीन गुना हो चुके हैं। जब निजी कंपनी जलापूर्ति शुरू करेगी तो पानी का बिल छह गुना तक हो जाने की आशंका है। इसका मतलब है कि तब एक परिवार को पानी बिल पर मौजूदा लगभग 720 रुपए सालाना के स्थान पर करीब 4500 रुपए सालाना खर्च करना होगा। इतना ही नहीं, इन कीमतों में हर तीन साल में स्वतः 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाया करेगी। नए कनेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क भी काफी देना होगा। प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 की मानें तो खंडवा शहर में बेरोज़गारी की दर काफी उच्च है। इसकी करीब 35 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। शहर के लोगों की औसत वार्षिक आय 22,800 रुपए के करीब है।

खंडवा शहर में इस परियोजना का काम चालू है। हालांकि निजी कंपनी निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सकी है। जल वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य भी जारी है। कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि यह परियोजना कब पूरी होनी चाहिए। न ही स्थानीय निवासियों की आपत्तियों के समाधान की कोई समय सीमा तय की गई है। इस परियोजना के तहत शहर के दो क्षेत्रों में मार्च 2014 तक जलापूर्ति शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी प्रगति को लेकर कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। इस बीच, स्थानीय नागरिक इस परियोजना के खिलाफ डटे हुए हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***